



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 491 वर्ष 2026

सन्आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : रमजान अहमद

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री हसन परवेज, अधिवक्ता, श्री रमजान अहमद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से संक्षिप्त उपस्थिति में, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 101 वर्ष 2025, धारा 123, 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना बिथरी चैनपुर, जिला बरेली में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसका नाम सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन में आया है जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। आवेदक को आरोपित एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दे दिया गया है। आवेदक दिनांक 27.02.2025 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतीकरणों को विवादित नहीं किया जा सका।
6. उच्चतम न्यायालय ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11

एससीसी 648 में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अन्यथा अभियुक्त का जमानत का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकरण बनता है तो उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वतः जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन के आधार पर फंसाया गया है जिसका कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का प्रथम दृष्टया मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक सन्, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

(रवि कान्त)